


नम्बर से  
अहकाम  
हुकम को  
में जारी

गुलाब सिंह बनाम शेरसिंह वगै०  
मु०नं० 41/2017  
प्रार्थना पत्र अ०धा० 212 आरटीए

दिनांक -15.09.2020 वकील पक्षकारान उपस्थित। मूल दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहें।

  
(अभिलाषा)  
उपमुख्य अधिकारी सूरजगढ़  
सूरजगढ़

